उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-21/2015/1246/60-3-15-13(11)14टीसी-2

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशकितकरण हेतु राज्य महिला सशकितकरण मिशन के अधीन अधिसूचना संख्या-1242/60-3-15-13(11)14टीसी0-2, दिनांक 18 जून, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2015 प्रख्यापित की गयी है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली (द्वितीय संशोधन)-2015 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
12. कोष कार्यालय को कोष की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. उप निदेशक, (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ, इस अनुरोध सहित कि इस नियमावली की 1000 मुद्रित प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

नन्दलाल प्रसाद
उपसचिव

C-2 Sri Tandon GO

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-21/2015/1242/60-3-15-13(11)/2014/टीसी-2

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2015 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7(ख)-(चार), (पॉच), (छ:), (दस) एवं नियम-7(ज) तथा नियम-17(ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा और नियम-17(ग) पृथक से जोड़ा जायेगा, अर्थात;

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा संशोधित नियम
नियम-7(ख) का संशोधन	**(चार) संविदा के आधार पर दो प्रोग्रामर** **(पॉच) संविदा के आधार पर दो सहयक प्रोग्रामर** **(छ:) संविदा के आधार पर दो डाटा इन्ट्री आपरेटर** **(दस) कोष प्रबंधन इकाई के लिये संविदा के आधार पर कार्मिकों जैसा कि उपर्युक्त (चार), (पॉच) एवं (छ:) में वर्णित है, को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के यू0पी0 डेस्को के माध्यम से रखे जायेंगे।**	**(चार) सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से दो प्रोग्रामर** **(पॉच) सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से दो सहायक प्रोग्रामर** **(छ:) सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से दो डाटा इन्ट्री आपरेटर** **(दस) कोष प्रबंधन इकाई के लिये सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से कार्मिकों जैसा कि उपर्युक्त (चार), (पॉच) एवं (छ:) में वर्णित है, को रखा जायेगा।**

C-2 Sri Tandon GO

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-7(ज) का संशोधन	**(ज) जिला तकनीकी इकाई के लिये संविदा के आधार पर उपर्युक्त (छ:) में यथावर्णित कार्मिकों की व्यवस्था यू0पी0 डेस्को, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से की जायेगी।**	**(ज) जिला तकनीकी इकाई के लिये सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से उपर्युक्त (च) में यथावर्णित कार्मिकों की व्यवस्था की जायेगी।**
नियम-17(ख) का संशोधन	**(ख) इस कोष से संबंधित (I.E.C) आई0ई0सी0 क्रियाकलापों के लिये कोष को आधा प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।**	**(ख) इस कोष से संबंधित (I.E.C) आई0ई0सी0 क्रियाकलापों के लिये कोष को एक प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।**
नियम-17(ग)	**----**	**(ग) इस कोष से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्द्धन (कैपिसिटी बिल्डिंग) के कार्यकलापों के लिये कोष का एक प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।**

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

C-2 Sri Tandon GO

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

C-2 Sri Tandon GO

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।